राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2229981, E mail ID:cojsy.nhm@gmail.com

क्रमांक : F (12) NHM/RCH/JSY/OJAS/2016/2017/472 दिनांक : 30-5-2017

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी – सिटी डिस्पेन्सरी,
– समस्त जिले।

विषय : ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना के ऑनलाईन भुगतान को सिटी डिस्पेन्सरी स्तर तक लागु किये जाने के क्रम में।

संदर्भ : निदेशालय के पत्र क्रमांक F (12) NHM/RCH/JSY/OJAS/2016/257 दिनांक 13.12.2016, पत्र क्रमांक F (14) NHM/RCH/MH/M.RajShree.Yojana/Part/468 दिनांक 26.05.2017

राज्य में 01 अगस्त, 2015 से जननी सुरक्षा योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ डीबीटी प्रणाली के तहत ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जा रहा है। जिसमें **प्रथम चरण** में दिनांक 01 अगस्त, 2015 से समस्त मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल, जिला अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सैटेलाईट अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, **द्वितीय चरण** में उक्त संस्थानों पर ही दिनांक 15 अगस्त, 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय राशि एवं शुभलक्ष्मी योजना की द्वितीय किश्त का भी ऑनलाईन भुगतान लाभार्थियों को ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किये जाने का प्रावधान लागू किया गया। **तृतीय चरण** में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों पर एवं जिला स्तर पर Other Government Institutes को दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 से, ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम से जोडा गया।

इसी क्रम में ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम को विस्तार करते हुये प्रदेश में दिनांक 01 जून, 2017 से ओजस सॉफ्टवेयर को सिटी डिस्पेन्सरी स्तर तक लागू किया जा रहा है। जिसमें सिटी डिस्पेन्सरी पर दिनांक 01 जून, 2017 से होने वाले प्रसव केसेज में जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय भुगतान, दिनांक 01.06.2016 से दिनांक 31.05.2017 तक की अवधि में सिटी डिस्पेन्सरी पर हुए प्रसव केसेज में बालिका जन्म वाले केसेज में, लाभार्थी को प्रथम परिलाभ चैक द्वारा जारी किया गया है, ऐसे केसेज में योजना के प्रावधान अनुसार द्वितीय परिलाभ/किश्त एवं साथ ही पूर्व में दिनांक 01.08.2015 से दिनांक 31.05.2016 तक की अवधि वाले प्रसव केसेज में, बालिका जन्म वाले केसेज में, जिन लाभार्थियों को शुभलक्ष्मी योजना की प्रथम किश्त का भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन किया गया था, ऐसे केसेज में शुभलक्ष्मी योजना की द्वितीय किश्त का भुगतान ड्यू होने पर (यदि लाभार्थी को द्वितीय किश्त का भुगतान जारी नहीं किया गया हो तो), सिटी डिस्पेन्सरी स्तर द्वारा भी लाभार्थी को द्वितीय किश्त का भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन ही जारी किये जा सकेंगे। इस प्रकार ओजस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध कराये जा रहे नवीन प्रावधान अनुसार द्वारा सिटी डिस्पेन्सरी स्तर पर भी **दिनांक 01 जून, 2017** से ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान जारी किया जा सकेगा। उक्त प्रावधान के अतिरिक्त, सिटी डिस्पेन्सरी हेतु भी ओजस पर उपलब्ध प्रावधान संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में अवगत कराये गये अनुसार ही उपलबध रहेंगे।

सिटी डिस्पेन्सरी स्तर तक ओजस सॉफ्टवेयर को लागु करते हुये, किये गये नवीन प्रावधान के अनुसार उक्त योजनाओं की ऑनलाईन भुगतान हेतु प्रक्रिया एवं निर्देश निम्नानुसार है : –

(अ) ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान किये जाने हेतु, सिटी डिस्पेन्सरी को उपलब्ध कराये गये – केस वेरिफिकेशन, केस सेंक्शन एवं संयुक्त निदेशक स्तर से भुगतान जारी करने के प्रावधान : –

1. सिटी डिस्पेन्सरी स्तर तक ओजस सॉफ्टवेयर पर जननी सुरक्षा योजना, शुभलक्ष्मी योजना व राजश्री योजना के पृथक–पृथक होमपेज एन्ट्री पार्ट पर उपलब्ध होंगे। उक्त में से किसी भी योजना के विकल्प का चयन करने पर योजना अनुसार केस वेरिफिकेशन व ऑनलाईन भुगतान जारी करने की अनुशंषा हेतु केस सेंक्शन प्रक्रिया की जावेगी।
2. सिटी डिस्पेन्सरी स्तर से ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान हेतु केस वेरिफिकेशन व केस सेंक्शन की प्रक्रिया को प्रत्येक योजना अनुसार पृथक–पृथक किया जायेगा।

30/5

3. सिटी डिस्पेन्सरी स्तर से ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान हेतु, सिटी डिस्पेन्सरी द्वारा पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक केस के विवरण को ऑनलाईन जेएसवाई क्लेम फार्म में प्रविष्ट किया जायेगा। **(जो कि जेएसवाई प्रसुति केस शीट में उपलब्ध है)**
4. पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरान्त, भुगतान योग्य केस ओजस सॉफ्टवेयर पर केस वेरिफिकेशन हेतु वेरिफाई यूजर को प्राप्त होगा। वेरिफाई यूजर द्वारा प्रत्येक केस विवरण को जाँचने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रविष्टि सही पाये जाने पर ही केस को वेरिफाई करते हुये, ऑनलाईन भुगतान जारी किये जाने हेतु केसेज को सेंक्शन यूजर को प्रेषित/फोर्वड किया जायेगा।
5. **सभी सिटी डिस्पेन्सरी पर केस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हेतु वेरिफाई यूजर एवं केस सेंक्शन की प्रक्रिया हेतु सेंक्शन यूजर, पृथक–पृथक नामित कर्मचारी/अधिकारी ही होंगे। ओजस सॉफ्टवेयर के यूजर्स, अपने लॉगईन आईडी पासवर्ड को गोपनीय रखेंगे। इन्हें किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं किया जावें।**
6. सिटी डिस्पेन्सरी स्तर से वेरिफाई यूजर द्वारा केस वेरिफिकेशन के पश्चात केस सेंक्शन की प्रक्रिया को सेंक्शन यूजर द्वारा किया जावेगा, इस प्रकार सेंक्शन यूजर द्वारा ऑनलाईन भुगतान की अनुशंषा संयुक्त निदेशक (संभाग स्तर) को प्रेषित की जावेगी। सिटी डिस्पेन्सरी के सेंक्शन यूजर द्वारा भुगतान हेतु जारी की गई सेंक्शन (स्वीकृति) के आधार पर ही, प्रतिदिन संयुक्त निदेशक द्वारा पंजीकृत डीएससी के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान जारी किया जायेगा।
7. सभी सिटी डिस्पेन्सरी पर भी, वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप, ओजस सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक सिटी डिस्पेन्सरी हेतु वेरिफाई यूजर व सेंक्शन यूजर दोंनो पृथक–पृथक नामित कर्मचारी/अधिकारी होंगे अर्थात केस वेरिफिकेशन का कार्य पृथक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा एवं केस सेंक्शन का कार्य पृथक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
8. सभी सिटी डिस्पेन्सरी हेतु पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में लाईनलिस्टिंग हेतु/ऑनलाईन डेटा प्रविष्टि हेतु पीसीटीएस लॉगईन यूजर आईडी पूर्व में ही अस्तित्व में है। सिटी डिस्पेन्सरी के यूजर्स द्वारा ओजस सॉफ्टवेयर पर लॉगईन करने हेतु, प्रत्येक संस्थान के वेरिफिकेशन यूजर व सेंक्शन यूजर हेतु पृथक–पृथक लॉगईन यूजर आईडी बनाई जानी है। जिला नोडल अधिकारी अविलम्ब ही सभी सिटी डिस्पेन्सरी हेतु वेरिफिकेशन यूजर व सेंक्शन यूजर की लॉगईन आईडी यूजर बनावें।
9. किसी भी केस प्रविष्टि में जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन एन्ट्री के समय त्रुटि पाये जाने पर वेरिफाई यूजर द्वारा केस का वेरिफिकेशन रोका जा सकेगा। वेरिफाई यूजर द्वारा अनमार्क किये गये केसेज में जेएसवाई क्लेम फार्म जे–3 में एडिट का विकल्प उपलब्ध होगा।
10. वेरिफाई यूजर द्वारा सेंक्शन यूजर को प्रेषित किये गये सभी केसेज को, पुनः सेंक्शन यूजर द्वारा जाँचा जावेगा तथा किसी भी केस प्रविष्टि में त्रुटि पाये जाने पर सेंक्शन यूजर द्वारा भुगतान की अनुशंषा जारी नहीं की जावेगी।
11. सेंक्शन यूजर द्वारा रोके गये केसेज को अनमार्क करने पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पुनः किया जा सकेगा। सेंक्शन यूजर द्वारा किसी भी केस में सेंक्शन को रोकते हुये, केस को अनमार्क उसी दिवस (रात्रि 12:00 बजे से पुर्व) में ही किया जा सकेगा। रात्रि 12:00 बजे बाद केस डेटा फ्रिज हो जायेगा। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जावें।
12. सिटी डिस्पेन्सरी–अधिकारी प्रभारी द्वारा संस्थान पर पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर लाईनलिस्टिंग/ ऑनलाईन डेटा प्रविष्टि का कार्य संस्थान पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/लेखा संवर्ग कार्मिक (नियमित/संविदा)/ नर्सिंग कर्मचारी आदि द्वारा करवाया जा सकता है।
13. सिटी डिस्पेन्सरी–अधिकारी प्रभारी द्वारा संस्थान पर ओजस सॉफ्टवेयर के वेरिफाई यूजर हेतु चिकित्सा अधिकारी, सीनियर नार्सिंग कर्मचारी, लेखा एवं लिपिक कर्मचारी आदि को नामित किया जा सकता है। जिन संस्थाओं पर लेखाकार कार्यरत है (नियमित/संविदा) उन संस्थाओं पर ओजस सॉफ्टवेयर पर केस वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से उन्ही की होगी।
14. सिटी डिस्पेन्सरी–अधिकारी प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि ऑनलाईन भुगतान की अनुशंषा जारी करने हेतु ओजस सॉफ्टवेयर पर सेंक्शन यूजर केवल संस्थान के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/नामित नोडल अधिकारी जेएसवाई (चिकित्सा अधिकारी) ही होंगे।

(ब) <u>जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना (प्रथम एवं द्वितीय किश्त) एवं शुभलक्ष्मी योजना की द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश</u> : –

1. **दिनांक 01 जून, 2017** से सिटी डिस्पेन्सारी पर होने वाले प्रसवों में (31 मई, 2017 रात्रि 12:00 बजे के पश्चात से) **जननी सुरक्षा योजना** के अन्तर्गत देय परिलाभ डीबीटी प्रणाली के तहत ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जावेगा।

2. **दिनांक 01 जून, 2017** से सिटी डिस्पेन्सरी पर प्रसव उपरान्त जीवित बालिका के जन्म पर (31 मई, 2017 रात्रि 12:00 बजे के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं) **मुख्यमंत्री राजश्री योजना** के अन्तर्गत देय परिलाभ डीबीटी प्रणाली के तहत ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान सीधे ही लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत, **दिनांक 1 जून, 2016 से 31 मई, 2017** तक की अवधि में सभी सिटी डिस्पेन्सरी पर जीवित बालिका जन्म वाले केसेज में, दिये गये प्रथम परिलाभ/किश्त जो कि रेखांकित चैक के माध्यम से लाभार्थियों को जारी किये गये है, ऐसे सभी केसेज (पीसीटीएस आईडी) में जारी किये गये चैकों का विवरण ओजस सॉफ्टवेयर पर आगामी सात दिवस के भीतर सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि दिनांक **01 जून, 2017** से लाभार्थियों को देय द्वितीय परिलाभ भी योजना के प्रावधान अनुसार दिया जा सके। **(संदर्भित पत्रांक 468 दिनांक 26.05.17)**
4. मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रथम परिलाभ/किश्त के चैक विवरण को ऑनलाईन ईन्द्राज किये जाने हेतु ओजस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध मुख्यमंत्री राजश्री योजना एन्ट्री पार्ट (होमपेज) से प्रोसेस करते हुए, चैक डिटेल्स विकल्प में जाकर प्रत्येक पीसीटीएस आईडी के अपडेट चैक डिटेल को सलेक्ट करते हुये, संस्थान द्वारा जारी किये गये चैक के विवरण में चैक जारी करने की दिनांक, चैक के नम्बर, बैंक विवरण आदि की प्रविष्टि को ऑनलाईन इन्द्राज किया जाना है।
5. सभी सिटी डिस्पेन्सरी पर दिनांक 31 मई, 2017 रात्रि 12:00 बजे के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के केसेज में, लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय प्रथम परिलाभ हेतु लाभार्थियों को चैक जारी नहीं किये जायेंगे। इनका भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जावेगा।
6. सभी सिटी डिस्पेन्सरी द्वारा **दिनांक 01 जून, 2017** से लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय द्वितीय परिलाभ हेतु लाभार्थियों को चैक जारी नहीं किये जायेंगे। इनका भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जावेगा। **(संदर्भित पत्रांक 468 दिनांक 26.05.17)**
7. दिनांक 01.08.2015 से 31.05.2016 तक की अवधि में सीएचसी एवं उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर प्रसवोंपरान्त हुई जीवित बालिकाओं वाले केसेज में, जिन्हें शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम परिलाभ उक्त ओजस संस्थानों द्वारा ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया के तहत दिया जा चुका है। इन केसेज में से जिन लाभार्थियों को शुभलक्ष्मी योजना का द्वितीय परिलाभ भी ऑनलाईन दिया जाना शेष है **(केवल ड्यू केसेज में)**, का ऑनलाईन भुगतान सभी सिटी डिस्पेन्सरी से भी जारी किया जा सकेगा। **(प्रक्रिया संदर्भित पत्रांक 257 दिनांक 13.12.2016 के अनुसार)**
8. राजश्री योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना की द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान हेतु सभी सिटी डिस्पेन्सरी प्रभारी इस बात का ध्यान रखें कि महिला (लाभार्थी) द्वारा बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के जीवित होने का प्रमाण पत्र, पूर्व में राजश्री योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम परिलाभ संबंधित संस्थान से प्राप्त कर लिया है के संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि (बैंक पासबुक की छाया प्रति), बालिका के एक वर्ष पूर्ण होने पर उम्र अनुसार पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। (ममता कार्ड/टीकाकरण कार्ड)

(स) <u>सिटी डिस्पेन्सरी स्तर तक ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम हेतु ऑनलाईन प्रविष्टि कार्य एवं कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश</u> : –

1. सिटी डिस्पेन्सरी स्तर तक ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिये जाने वाले ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि संभाग, जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा सिटी डिस्पेन्सरी पर उपलब्ध कम्प्यूटर व ईन्टरनेट की उपलब्धता की तत्काल समीक्षा करते हुए आवश्यक प्रबंधन किया जावें, सिटी डिस्पेन्सरी पर कार्यरत सभी संबंधित अधिकारी/कार्मिकों (चिकित्सा अधिकारी, लेखा संवर्ग अधिकारी/कार्मिक – संविदा अथवा नियमित, लिपिक वर्ग, पैरामेडिकल स्टॉफ/नर्सिंग स्टॉफ, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अन्य कार्मिक) को अविलम्ब निर्देश जारी करते हुये, कार्य में लापरवाही ना बरती जावें इस हेतु पाबन्द करावें।
2. सभी सिटी डिस्पेन्सरी संस्थान प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह का विलम्ब ना हों एवं किसी कार्मिक के अवकाश की स्थिति में वैकलपिक व्यवस्था सुनिश्चित करे, ऑनलाईन प्रविष्टियॉ किसी भी योजना के कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखा कर्मी अथवा लिपिक द्वारा भी आसानी से की जा सकती है।
3. प्रत्येक एएनसी चैकअप के समय लाभार्थी को बैंक खाता खुलवाने हेतु प्रेरित किया जावें एवं बैंक पास बुक की छाया प्रति प्राप्त कर पीसीटीएस में सही–सही बैंक खाता संख्या विवरण इन्द्राज करवाया जावें।
4. ऑनलाईन जेएसवाई क्लेम फार्म को इन्द्राज करते समय लाभार्थी का मोबाइल नम्बर, बैंक खाता संख्या विवरण, प्रसव संबंधी विवरण, शिशु का विवरण एवं महिला के डिस्चार्ज के समय नवजात शिशु/महिला के जीवित होने की सही–सही प्रविष्टि भलिभॉति जॉचकर ही सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन ईन्द्राज किया जाना

30/5/17

है। "सभी संस्थान प्रभारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के केसेज में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की आवाज में Voice Message सॉफ्टवेयर के द्वारा लाभार्थियों के मोबाइल नम्बर पर भेजा जाता है।

5. ओजस सॉफ्टवेयर पर केस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में विवरण को भलीभाँति जाँचकर ही केस को वेरिफाई करें ताकि लाभार्थी के मोबाईल पर संदेश पहुँचने के साथ–साथ, भुगतान पहुँचने में विलम्ब ना हों।
6. सिटी डिस्पेन्सरी प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि महिला का प्रसव होते ही सभी आवश्यक सूचनाओं का इन्द्राज प्रारम्भ किया जाकर प्रविष्टियों को (जे–1, जे–2) सॉफ्टवेयर में सुरक्षित कर लिया गया है ताकि प्रसूता के छुट्टी के समय/डिस्चार्ज के समय ही लाभार्थी के डिस्चार्ज का विवरण (जे–3) को ऑनलाईन ईन्द्राज करते हुये अविलम्ब ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को प्रोसेस किया जावें।
7. सिटी डिस्पेन्सरी प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन प्रसूताओं ने जीवित बालिका को जन्म दिया है उन्हें मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का सत्यापन कर प्रथम किश्त की राशि भी ऑनलाईन ही दी जावेगी।
8. सभी आवश्यक सूचनाएं इन्द्राज के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्रतिदिन जेएसवाई क्लेम फॉर्म के आवश्यक सत्यापन करवाते हुये ऑनलाईन भुगतान स्वीकृति/सेंक्शन जारी करेंगे।
9. प्रसव के बाद प्रसूता अथवा नवजात किसी को जटिलता के कारण उच्चतर संस्थान पर रैफर किया जाता है तो जटिलताओं का उल्लेख सॉफ्टवेयर में करने के पश्चात भुगतान जहाँ प्रसव हुआ है उसी संस्थान द्वारा 48 घण्टे के ठहराव के पूर्व भी किया जा सकता है।
10. अगर प्रसव वाहन जैसे–108/104/एम्बुलेंस/अन्य में परिवहन के दौरान रास्ते में ही हो जाता है तो प्रसूता व नवजात को चिकित्सा संस्थान पर भर्ती कर 48 घण्टे तक आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं दी जाकर नियमानुसार जेएसवाई, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ दिया जावेगा।
11. अगर लाभार्थी 48 घण्टे पूर्व बिना बताये (Abscond) अथवा चिकित्सकीय सलाह के विपरीत (LAMA) संस्थान से स्वेच्छा से चला जाता है तो जेएसवाई के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय नहीं होगा। LAMA/Abscord केसेज में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का भुगतान राज्य स्तर से ऑनलाईन अनुमोदन पश्चात ही संस्थान स्तर से चैक जारी किया जा सकेगा।
12. विशेष परिस्थितियों में जैसे – घूमन्तु जाति से संबंधित महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ है एवं जिनका बैंक खाता नहीं है, को रेखांकित चैक द्वारा भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विशेष परिस्थिति जन्य कारण होने पर राज्य इकाई द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही लाभार्थी को भुगतान क्रॉस चैक के माध्यम से किया जा सकेगा। यह प्रकरण केवल अपवाद स्वरूप ही होंगे, अतः इन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावें।
13. ऑनलाईन प्रविष्टि के दौरान लाभार्थी का बैंक खाता संख्या विवरण गलत ईन्द्राज किये जाने अथवा अन्य किसी कारण से बैंक द्वारा पेमेन्ट रिजेक्ट होने की स्थिति में, ओजस सॉफ्टवेयर पर पेमेन्ट स्टेटस में Return By RBI अथवा Invalid Account Number का स्टेटस प्रदर्शित होने पर लाभार्थी को संबंधित योजना का भुगतान चैक द्वारा जारी किया जाना है। चैक द्वारा जारी किये जा रहे भुगतान में उल्लेखित राशि, ओजस सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित राशि जितनी ही होगी। इस प्रकार के केसेज में लाभार्थी को भुगतान जारी करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब ना किया जावें।
14. विशेष परिस्थितियों में (LAMA/Abscond केसेज में राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ, घूमन्तु केसेज में जेएसवाई एवं राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ, ओजस पर पेमेन्ट स्टेटस में Return By RBI अथवा Invalid Account Number का स्टेटस प्रदर्शित होने पर) जो भी भुगतान चैक के माध्यम से दिया जावेगा, इस चैक का भुगतान संबंधी पूर्ण विवरण को ओजस सॉफ्टवेयर में आनॅलाईन इन्द्राज किया जावेगा।
15. सिटी डिस्पेन्सरी अधिकारी प्रभारी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रविष्ट किये जा रहे जेएसवाई क्लेम फार्म की कम्प्यूटर ऑपरेटर/संबंधित कर्मचारी द्वारा ध्यान पूर्वक प्रविष्टि की जावें।
16. सिटी डिस्पेन्सरी अधिकारी प्रभारी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी भी केस की डुप्लीकेट पीसीटीएस आईडी नही बनाई जावें। पूर्व में पंजीकृत एएनसी केस को ढुंढने के/सर्च करने के लिये पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध केस सर्च विकल्प को काम में लिया जावें। इस हेतु जिला नोडल अधिकारी से सहयोग प्राप्त किया जावें।
17. सिटी डिस्पेन्सरी अधिकारी प्रभारी, सभी संबंधित पैरामेडिकल स्टॉफ को अवगत कराते हुये यह सुनिश्चित करायेंगे कि जेएसवाई क्लेम फार्म में उनके द्वारा भरे जाने वाले प्रसव का विवरण/प्रसूता के डिस्चार्ज संबंधी समस्त विवरण को सही सही भरते हुये, भली भाँति जाँचने के उपरान्त ही, उनके द्वारा भरे गये जेएसवाई क्लेम फार्म को पीसीटीएस पर ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने हेतु नामित कम्प्यूटर ऑपरेटर/फर्मी/संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करावे।

18. सिटी डिस्पेन्सरी अधिकारी प्रभारी, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरान्त (जे–1, जे–2, जे–3 पूर्ण करने के साथ) उसी दिवस में ओजस सॉफ्टवेयर में केस वेरिफिकेशन व केस सेंक्शन की प्रक्रिया की जावें।
19. सिटी डिस्पेन्सरी अधिकारी प्रभारी, यह ध्यान रखें कि महिला के बैंक खाता संख्या विवरण की ऑनलाईन प्रविष्टि करते समय किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जावेगी, बैंक खाता संख्या विवरण केवल वास्तविक लाभार्थी (प्रसूता) का ही दर्ज किया जायेगा। किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाता विवरण को ऑनलाईन ईन्द्राज किये जाने पर इसे वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में माना जायेगा।
20. सिटी डिस्पेन्सरी अधिकारी प्रभारी, यह ध्यान रखें कि जेएसवाई/आरएसवाई/एसएलवाई के ऑनलाईन भुगतान को प्रोसेस करने से पुर्व संस्थान पर जेएसवाई क्लेम फार्म एवं अन्य आवश्यक रिकार्ड से मिलान कर ही एवं इनकी (संबंधित दस्तावेजों की) संस्थान पर उपलब्धतता को सुनिश्चित करते हुये ही ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया को प्रोसेस किया जावे। संस्थान स्तर से केस वेरिफिकेशन एवं केस सेंक्शन प्रक्रिया के आधार पर ही (संस्थान द्वारा जारी की गई ऑनलाईन अनुशंषा के आधार पर ही) केसेज डेटा ऑनलाईन भुगतान हेतु पेंमेन्ट यूजर को प्राप्त होते है। अतः किसी भी स्थिति में गलत भुगतान होने के लिये प्रारम्भिक तौर पर संबंधित संस्थान प्रभारी/नामित अधिकारी/कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे।
21. किसी भी स्तर पर– सिटी डिस्पेन्सरी में होने वाले प्रसव केसेज की ऑनलाईन केस प्रविष्टि, केस वेरिफिकेशन एवं केस सेंक्शन प्रक्रिया में विलम्ब नहीं होना चाहिए। सभी संबंधित संस्थान प्रभारी यह व्यक्तिशः सुनिश्चित करेंगे कि प्रसूता द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के उपरान्त ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विलम्ब ना किया जावें।
22. सिटी डिस्पेन्सरी अधिकारी प्रभारी, यह ध्यान रखें कि ओजस सॉफ्टवेयर एक पेंमेन्ट पोर्टल सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा पूर्णतः भुगतान से संबंधित ऑनलाईन प्रविष्टि एवं भुगतान जारी किये जाने की प्रक्रिया को प्रोसेस किया जाता है। अतः आप ओजस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन केस वेरिफिकेशन कार्य के साथ–साथ लेखा संधारण कार्य को भी दैनिक रुप से करवाया जाना सुनिश्चित करायेंगे। इस हेतु संस्थान के द्वारा प्रतिदिन जारी की जा रही सेंक्शन के पीर्डीएफ प्रिंट ओजस सॉफ्टवेयर से प्राप्त किये जावेंगे। संस्थान के नामित अधिकारी/कार्मिक (नियमित/संविदा) द्वारा यह भी सत्यापन किया जावेगा कि ऑनलाईन जारी की गई सेंक्शन के अनुरुप ही संस्थान पर जेएसवाई क्लेम फार्म एवं अन्य सभी रिकोर्ड/दस्तावेजों की भौतिक उपलब्धतता सुनिश्चित होंवे। ऑनलाईन केस वेरिफिकेशन एवं लेखा संधारण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जावें।
23. सभी समस्त संयुक्त निदेशक, विभागीय जिला अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई एवं खण्ड कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई के सदस्यों द्वारा, ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम को सिटी डिस्पेन्सरी स्तर तक लागु कराये जाने में, सिटी डिस्पेन्सरी पर कार्यरत अधिकारी/कार्मिक को पूर्ण सहयोग प्रदान कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। ओजस से संबधित पूर्व में जारी समस्त दिशानिर्देशों से आवश्यकतानुसार सभी सिटी डिस्पेन्सरियों को अवगत करावें।
24. जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला नोडल अधिकारी तत्काल ही यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सिटी डिस्पेन्सरी से तीन–तीन अधिकारी/कार्मिकों को (पीसीटीएस पर एन्ट्री यूजर, ओजस पर वेरिफाई यूजर एवं सेंक्शन यूजर) जिला मुख्यालय पर/किसी भी वर्तमान ओजस संबंधित संस्थान पर Hand on training देवें।
25. समस्त समस्त संयुक्त निदेशक, विभागीय जिला अधिकारी/खण्ड अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला नोडल अधिकारी – एनएचएम को यह अवगत कराते हुये निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के अधीन समस्त सिटी डिस्पेन्सरी पर ओजस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु आवश्यकतानुसार भ्रमण सुनिश्चित करेंगे तथा संस्थान स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
26. समस्त जिला लेखा प्रबंधक – एनएचएम, जिले के अधीन आने वाली अन्य ओजस संस्थाओं के साथ–साथ सिटी डिस्पेन्सरी पर ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम की योजना अनुसार नियमित लेखा एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे। साथ ही संस्थाओं पर, संबंधित वांछित दस्तावेज एवं रिकोर्ड संस्थानों पर भौतिक रूप से उपलब्ध रहे, इसका नियमित रूप से संस्थाओं पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे।
27. जिलों पर कार्यरत जिला नोडल अधिकारी – एनएचएम को निर्देशित किया जाता है कि जिले के अधीन आने वाली सभी सिटी डिस्पेन्सरी यूनिटस् को ओजस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध सभी यूटिलिटी के बारे में आवश्यक रूप से अवगत करावें।
28. सभी संयुक्त निदेशक के द्वारा, **दिनांक 01 जून, 2017** से सिटी डिस्पेन्सरी के द्वारा भी ऑनलाईन सेंक्शन जारी किये जाने वाले केसेज में, प्रतिदिन भुगतान किया जावेगा। आपको प्राप्त होने वाला ऑनलाईन डेटा

(59)

संस्थान स्तर से सेंक्शन प्रक्रिया के दौरान जारी की गई अनुशंषा के आधार पर ही प्राप्त होगा। सभी संयुक्त निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सिटी डिस्पेन्सरी यूनिटस् के द्वारा जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ के ऑनलाईन भुगतान को योजनाओं के प्रावधानों अनुसार, समय पर जारी किये जावें। किसी भी स्तर पर सिटी डिस्पेन्सरी द्वारा ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम में लापरवाही ना बरती जावें।

29. ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम में, सिटी डिस्पेन्सरी स्तर पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को ऑनलाईन कार्यक्रम एवं प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर तकनीकी एवं अन्य आवश्यक सहयोग हेतु राज्य स्तर पर ओजस सैलं (8290266668) से सम्पर्क किया जा सकता है।

"उक्त निर्देश ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया के संबंध में जारी किये जा रहे है। जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना व शुभलक्ष्मी योजना के समस्त प्रावधान पूर्ववत रहेगें।"

30/5/17

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु : –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि., स्वा. एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकि., स्वा. एवं प.क. विभाग, एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एवं निदेशक आई.ई.सी., जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक आरसीएच, मुख्यालय, जयपुर।
5. निदेशक वित्त, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर/वित्तीय सलाहकार, प.क.।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक (मातृ–स्वास्थ्य), मुख्यालय, जयपुर।
8. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
9. राज्य वित्त प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक–एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
10. सलाहकार जेएसवाई/नोडल अधिकारी जेएसवाई–एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
11. सलाहकार एनयूएचएम – मुख्यालय, जयपुर।
12. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
13. समस्त डीएएम/डीएनओ (डीएमएण्उईओ)/डीएसी/जिला आईईसी समन्वयक – एनएचएम, समस्त जिले।
14. समस्त एनयूएचएम, जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई – समस्त जिले।
15. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक/समस्त खण्ड लेखाकार/बीएचएस–एनएचएम, सूचना सहायक/ संगणक, खण्ड मुख्यालय, समस्त जिले।
16. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को, समस्त सम्बन्धितों को ई–मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
17. रक्षित पत्रावली।

30/5/17

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर